आदेश की क्रम सं0 और ता0	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, मधेपुरा।

बासगीत पर्चा रीभिजन वाद सं0-17/2002 जगरनाथ शर्मा बनाम फुलो शर्मा एवं अन्य

-: आदेश :-

21/1/2020

श्री जगरनाथ शर्मा पे0 स्व0 कनीक शर्मा, सा0 बघरा, थाना+अंचल पुरैनी, जिला मधेपुरा ने बासगीत पर्चा रीभिजन वाद सं0-17/2002, जो उचित पैरवी नहीं हो सकने के कारण दिनांक 10-05-2005 को वाद में आगे की कार्रवाई समाप्त कर दी गई थी, जिसे पुनर्जीवित करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा-05 के अन्तर्गत कालबाधा क्षान्त करने के साथ वाद पुनर्जीवित करने का अनुरोध आवेदन दिनांक 10-10-2019 को इस न्यायालय में दाखिल किया गया है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक लम्बी अवधि तक बीमार पड़ गए और उनकी अनुपस्थिति में उचित पैरवी नहीं हो सकी। फलस्वरूप वाद समाप्त कर दिया गया। स्वस्थ्य होने के उपरान्त पूर्व पारित आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्त कर चिकित्सीय पूर्जा एवं समय क्षान्त आवेदन सहित पुनर्विचार आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक की ओर से जान-बूझकर हाजरी/पैरवी नहीं छोड़ा है, बल्कि गंभीर रूप से बीमार पड़ जाना है। आवेदक अब अपना वाद चलाना चाहते है। वाद पुनर्जीवित नहीं करने से आवेदक को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए आवेदक के आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है वाद को पुनर्जीवित किया जाय।

न्यायालय में उपस्थित विज्ञ सरकारी अधिवक्ता श्री क्यू0ए0कलाम के द्वारा आवेदक के कथन का विरोध करते हुए बताया गया कि दिनांक 10-05-2005 को वाद में आगे की कार्रवाई बंद की गई है और लगभग 15 वर्षो के बाद पुनर्विचार आवेदन दाखिल किया गया है। परिसीमा अधिनियम की धारा-05 निम्नरूपेण विश्लेषित है :- "Any appeal or any application, other than an application under any of the provisions of Order XXI of the Code of Civil Procedure, 1908, may be admitted after the prescribed period if the appellant or the applicant satisfies the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application with such period." आवेदक बीमार रहने के संदर्भ में चिकित्सीय पूर्जा दाखिल किया है। दिनांक 05-05-2005 को चिकित्सक के द्वारा चिकित्सा की गई है। उसके बाद लगभग 10 वर्षो के बाद दिनांक 07-06-2015, लगभग 02 वर्षो के बाद दिनांक 03-09-2017 एवं लगभग 02 वर्षो के बाद दिनांक 08-10-2019 को चिकित्सक से दिखाए हैं। उक्त चिकित्सीय पूर्जा इस बात को दर्शाता है कि आवेदक गंभीर रूप से एवं निरन्तर बीमार नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ यदि ये गंभीर रूप से बीमार थे तो न्यायिक प्रक्रियाधीन अपने वैधिक उत्तराधिकार/प्रतिनिधि नामित कर सकते थे, जो नहीं किया गया है। इसलिए आवेदक का आवेदन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होता है।

अभिलेख का परिसीलन से परिलक्षित होता है कि वाद में आगे की दिनांक 10-05-2005 को समाप्त कर की गई थी और लगभग 15 वर्षो के बाद दिनांक 10-10-2019 को पुनर्विचार आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक उक्त अवधि में बीमार रहना बताया गया है। चिकित्सीय पूर्जा के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक निरन्तर बीमार नहीं रहे हैं, बल्कि बीमारी को आधार बना कर वाद पुनर्जीवित कराना चाहते हैं। वाद सुचारू/ निर्बाध रूप से संचालित रहे, उसके लिए विधिक उत्तराधिकारी/प्रतिनिधि बनाने का प्रावधान है। लेकिन उसके लिए भी न्यायालय में कोई आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदक न्यायालय को संतुष्ट करने में पूर्णतया विफल रहे हैं। अतः विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के तर्क से सहमत होते हुए दाखिल पुनर्विचार आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

उक्त आदेश की प्रति उभय पक्ष को दें तथा एक प्रति मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर प्रकाशित करावें।

21/1/2020

स मा ह र्त्ता,
मधेपुरा।

लेखापित एवं शुद्धिकृत,

21/1/2020
समाहर्त्ता, मधेपुरा।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि, मधेपुरा। 21/01/20 27/1/20

ज्ञा0 सं0 94 ....न्या0,मधेपुरा,दिनांक 27.....01...../2020
प्रतिलिपिः श्री जगरनाथ शर्मा, पिता स्व0-कनीक शर्मा, सा0-बघरा, थाना+अंचल-पुरैनी, जिला-मधेपुरा/श्री फुलो शर्मा, पिता स्व0-बच्चा शर्मा, वो सुलोचना देवी, पति फुलो शर्मा, दोनों सा0-बघरा, थाना-पुरैनी, जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को मधेपुरा जिला के वेब साईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।